



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16122025-268549
CG-MH-E-16122025-268549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/ अग्रहायण 24, 1947
No. 809]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/ AGRAHAYANA 24, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 15 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025

इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को रजिस्टर किए जाने से संबंधित विनियामक (रेग्युलेटरी)

प्रावधानों को समेकित करने तथा उनमें संशोधन करने और उनके दायित्वों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

करने और इनसे जुड़े मामलों के संबंध में प्रावधान करने हेतु विनियम

सं.सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जीएन/2025/288.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15] की धारा 11 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

अध्याय – I**प्रारंभिक****संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में जिन शब्दों आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो, और उनके जैसे शब्दों तथा ऐसे जिन शब्दों के रूप कुछ बदल गए हों उनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

(क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15];

(ख) “कार्यों आदि” का अर्थ है - वे कार्य आदि, जो इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अनुसार कर सकेगा;

(ग) “बोर्ड” का अर्थ वही है, जैसी परिभाषा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में दी हुई है;

(घ) “कंपनी” (बॉडी कारपोरेट) का अर्थ वही है, जैसी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (11) में दी हुई है;

(ङ) “प्रमाणपत्र” का अर्थ है - बोर्ड द्वारा इन विनियमों के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(च) “नियंत्रण में परिवर्तन”, का अर्थ, कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,-

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(छ) “फॉर्म” का अर्थ है - अनुसूची-I में दिया हुआ फॉर्म;

(ज) “निरीक्षण प्राधिकारी” का अर्थ है - अध्याय-V के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या एक से ज्यादा व्यक्ति;

(झ) “इश्यू” (निर्गम) का अर्थ वही है, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) विनियम, 1992 [सेबी (मर्चेन्ट बैंकर्स) रेग्यूलेशन, 1992] में इसके लिए दी हुई है;

(ञ) “मुख्य अधिकारी” (प्रिंसिपल ऑफिसर) का अर्थ है -

- (i) किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के संबंध में - पार्टनर (भागीदार) या प्रबंधक (मैनेजर) या निदेशक (डायरेक्टर); या
- (ii) कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के प्रबंधन या संचालन से जुड़ा ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के बोर्ड ने मुख्य अधिकारी मानने के अपने निर्णय की सूचना (नोटिस) दे दी हो;

(ट) “इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट” का अर्थ है - वह कंपनी (बॉडी कारपोरेट) या ऐसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) का कोई प्रभाग (डिविज़न) या यूनिट, जिसे निम्नलिखित कार्य आदि करने के लिए नियुक्त किया गया हो -

(i) इनिशियल पब्लिक ऑफर (आई.पी.ओ. / आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव), फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफ.पी.ओ. / बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव), ओपन ऑफर (खुला प्रस्ताव), शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) के बायबैक (को क्रय द्वारा वापस लेने), डीलिलिस्टिंग ऑफर (असूचीबद्धता संबंधी प्रस्ताव), टेकओवर (अधिग्रहण) के सिलसिले में और इश्यू या कारपोरेट एक्शन से जुड़े किसी कार्य आदि [जो बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों या डिपॉजिटरी (निक्षेपागारों) द्वारा बताया जाए] के सिलसिले में इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) के तौर पर किए जाने वाले कार्य;

(ii) ऐसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) द्वारा जिन धारकों (होल्डर्स) को शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) इश्यू किए गए हों उनका रिकॉर्ड रखने से जुड़े कार्य और ऐसे शेयरों आदि में किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांज़ेक्शन) से संबंधित सभी मामलों से जुड़े कार्य;

(ठ) “स्टॉक एक्सचेंज” का अर्थ है - वह स्टॉक एक्सचेंज, जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन एक्ट, 1956) [1956 का 42] की धारा 4 के तहत केन्द्रीय सरकार से या बोर्ड से मान्यता मिली हुई हो।

(2) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम (एक्ट), कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996) या उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उनमें किए गए किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिए हुए हैं।

अध्याय - II

इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रीकरण)

इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन

- कोई भी व्यक्ति इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में तब तक कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह इन विनियमों के तहत बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

- (1) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, बोर्ड के पास अनुसूची-I में दिए हुए फॉर्म-क में किया जाएगा, और जिसके साथ अनुसूची-II के पैरा-1 में निर्धारित की गई आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी अदा की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) में बताई गई किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के लागू होने से पहले इश्यू के रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा किए गए किसी आवेदन (जिसमें लगभग वह समस्त जानकारी दी हुई हो, जिसका जिक्र अनुसूची-I में दिए हुए फॉर्म-क में किया गया है) के बारे में यही माना जाएगा कि वह उप-विनियम (1) के अनुसार ही किया गया आवेदन है और उस पर कार्यवाही भी उसी तरह से ही की जाएगी।

अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन

- विनियम 4 के उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुरूप आवेदनों पर विचार करते समय, जो आवेदन हर तरह से पूरा न हो और जो फॉर्म में दिए हुए अनुदेशों के अनुरूप न हो, उसे नामंजूर कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे किसी आवेदन को नामंजूर करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा जताई गई आपत्तियों के अनुसार बदलाव आदि करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और इस तरह से बदलाव आदि बोर्ड से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर करने होंगे:

परंतु यह और कि बोर्ड, पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद, इस प्रकार बताई गई आपत्तियों के अनुसार बदलाव आदि करने के लिए कुछ और समय दे सकेगा, जितना भी इसके लिए आवेदक को बोर्ड और समय देना ठीक समझे, किंतु ज्यादा से ज्यादा तीस दिनों तक का ही और समय दिया जा सकेगा।

कुछ और जानकारी प्रस्तुत करना, स्पष्टीकरण देना आदि

6. (1) बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए, आवेदक से यह कह सकेगा कि वह ऐसी कुछ और जानकारी प्रस्तुत करे या स्पष्टीकरण दे, जो भी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के तौर पर उसके कार्य आदि से जुड़े मामलों के संबंध में बोर्ड को जरूरी लगे।

(2) यदि बोर्ड को जरूरी लगे, तो वह आवेदक या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हेतु बोर्ड के समक्ष हाज़िर होने के लिए कह सकेगा।

आवेदन पर विचार

7. आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करते समय, बोर्ड उन सभी बातों पर विचार करेगा जो उसे इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यों आदि के लिहाज से जरूरी लगे और खासकर यह कि क्या-

(क) आवेदक एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) है;

(ख) आवेदक के पास इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में सही ढंग से कार्य आदि करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हैं, जैसे कि कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थान, पर्याप्त उपकरण और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी आदि;

(ग) आवेदक को कार्यों आदि का पहले कोई अनुभव है;

(घ) आवेदक ने अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) को नियुक्त किया हुआ है;

(ङ) आवेदक ने ऑडिट कमेटी (लेखापरीक्षा समिति) या ऐसी ही किसी समिति का गठन किया हुआ है;

(च) आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रदान नहीं किया गया;

(छ) आवेदक विनियम 9 में दिए हुए नेटवर्थ रखने से संबंधित प्रावधान को पूरा करता है;

(ज) आवेदक या आवेदक से जुड़े किसी व्यक्ति के खिलाफ सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) या किसी दूसरी विनियामक (रेग्युलेटरी) या इन्फोर्समेंट एजेंसी से जुड़े किसी मामले में कोई कार्यवाहियाँ चल रही हैं;

(झ) आवेदक या उसके किसी निदेशक, पार्टनर (भागीदार) या मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) को किसी भी समय किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) अथवा किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया है; और

(ञ) आवेदक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है।

उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति संबंधी मानदंड

8. आवेदक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] की अनुसूची-II में निर्धारित किए गए मानदंडों पर गौर कर सकेगा।

नेटवर्थ रखने से संबंधित प्रावधान

9. नेटवर्थ रखने से संबंधित प्रावधान [जिसका जिक्र विनियम 7 के खंड (छ) में किया गया है] के अनुसार कम से कम पचास लाख रुपये की नेटवर्थ बनाए रखनी होगी।

स्पष्टीकरण.— इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “नेटवर्थ” का अर्थ है - विनियम 4 के उप-विनियम (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक के बही-खातों (लेखा-बहियों) के अनुसार पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी), फ्री रिज़र्व (खुली आरक्षितियों) और सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम का मूल्य:

परंतु यह कि जिस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा चुका हो, उसे इस विनियम के लागू होने की तारीख से अठारह महीनों के भीतर अपनी नेटवर्थ बढ़ाकर कम से कम उतनी करनी होगी, जितनी नेटवर्थ का जिक्र ऊपर किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना

10. (1) बोर्ड जब इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि आवेदक विनियम 7 के प्रावधानों पर खरा उतरता है, तब वह आवेदक को सूचित करेगा और अनुसूची-II के पैरा (2) में बताई गई रजिस्ट्रीकरण फीस अदा कर दिए जाने के बाद, अनुसूची-I के फॉर्म-ख के अनुसार प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

(3) जिस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले ही बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा चुका हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उप-विनियम (1) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(4) विनियम 14 में निर्धारित की गई फीस अदा करने पर ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रीकरण) की शर्तें

11. (1) विनियम 10 के तहत प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अधिनियम तथा इन विनियमों (रेग्यूलेशन) के प्रावधानों का पालन करेगा;

(ख) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में बोर्ड से पहले ही मंजूरी उसी तरह प्राप्त करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;

(ग) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट जिस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) अथवा जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के जिस समूह के लिए या की ओर से इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, उसके साथ एक करार (एग्रीमेंट) करेगा, जिससे वे कानूनी तौर पर बंधें और जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि उसकी

और, यथास्थिति, उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के कर्तव्य क्या-क्या होंगे और जिम्मेदारियाँ क्या-क्या होंगी, हालाँकि उस समय लागू किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के अनुसार इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए जो भी करना जरूरी हो वह तो उसे करना ही होगा;

- (घ) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु फीस उसी प्रकार अदा करेगा, जैसा इन विनियमों में बताया गया है;
- (ङ) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की नेटवर्थ प्रमाणपत्र की मान्यता की अवधि के दौरान हमेशा उतनी रहे, जितनी नेटवर्थ का जिक्र विनियम 9 में किया गया है;
- (च) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कलेंडर दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और बोर्ड को यह बताता रहेगा कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुईं और उनके दूसरे विवरण भी देता रहेगा और साथ ही यह भी बताता रहेगा कि उन शिकायतों का निवारण किस तरह किया गया;
- (छ) यदि बोर्ड के पास पहले प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या प्रस्तुत किए गए किन्हीं विवरणों को किसी भी मामले विशेष में झूठा या गुमराह करने वाला पाया जाता है या यदि पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, तो ऐसे में इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा;
- (ज) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों या सूचीबद्ध (लिस्ट) होने वाली कंपनियों को सेवाएँ प्रदान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (ख) में बताई गई किसी भी बात से अधिनियम की धारा 12 के तहत फिर से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा (जहाँ भी ऐसा लागू हो)।

असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों को सेवाएँ प्रदान करना

12. (1) यदि इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपनी सेवाएँ असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों को प्रदान कर रहा हो, तो ऐसे में –

- (क) असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों को अलग से सेवाएँ प्रदान की जाएँगी और उन्हें दूसरी सभी सेवाओं से पूरी तरह से अलग रखा जाएगा, और ये सेवाएँ एक अलग बिजनेस यूनिट बनाकर प्रदान की जाएँगी;
- (ख) असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों को इस प्रकार प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बोर्ड के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में नहीं आएँगी; और
- (ग) प्रत्येक इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को इस संबंध में एक डिस्क्लेमर असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी को साफ-साफ देना होगा।

स्पष्टीकरण.— म्यूचुअल फंडों, असेट मैनेजमेंट कंपनियों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों (ए.आई.एफ.) को सेवाएँ प्रदान करने वाले इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में ही रहेंगे।

(2) जो इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले से ही असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों को सेवाएँ प्रदान कर रहा हो, वह ऐसे कार्य आदि इन विनियमों के अधिसूचित होने की तारीख से अठारह महीनों की अवधि के भीतर एक अलग बिजनेस यूनिट बनाकर करेगा।

रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से इनकार किए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

13. (1) विनियम 4 के तहत किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि बोर्ड की यह राय हो कि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे में बोर्ड आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।
- (2) आवेदन को नामंजूर करने के बोर्ड के निर्णय से आवेदक को, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अवगत कराया जाएगा और साथ ही आवेदन को नामंजूर किए जाने के कारण भी बताए जाएंगे।
- (3) यदि आवेदक बोर्ड द्वारा उप-विनियम (2) के तहत दिए गए निर्णय से असंतुष्ट हो, तो ऐसे में वह इस संबंध में सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए, बोर्ड के पास आवेदन कर सकेगा।
- (4) उप-विनियम (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद, बोर्ड अपने निर्णय पर फिर से विचार करेगा और इस संबंध में अपना निर्णय जल्द से जल्द आवेदक को लिखित में सूचित करेगा।

फीस का भुगतान और फीस अदा न किए जाने के परिणाम

14. (1) रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक, उसी प्रकार से और उतनी अवधि के भीतर फीस अदा करेगा, जैसा अनुसूची-II में बताया गया है:
- परंतु यह कि यदि पर्याप्त कारण बताए जाएँ, तो बोर्ड इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को वह फीस देय होने की तारीख से छह महीने समाप्त होने से पहले किसी भी समय अदा करने की अनुमति दे सकेगा।
- (2) यदि इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट उप-विनियम (1) के अनुसार फीस अदा न कर पाए, तो ऐसे में बोर्ड प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा, जिसके बाद इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में अपना हर कार्य करना बंद कर देगा।

अध्याय – III**दायित्व और जिम्मेदारियाँ****आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)**

15. प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अनुसूची-III में दी हुई आचार संहिता का हमेशा पालन करेगा।
- इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपने सहयोगी (असोसिएट) के लिए इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर के तौर पर कार्य नहीं करेगा
16. कोई भी इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट किसी ऐसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट), जिसका वह सहयोगी (असोसिएट) हो, द्वारा लाए जाने वाले शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) के इश्यू के लिए इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के तौर पर कार्य नहीं करेगा।
- स्पष्टीकरण.** इस विनियम के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या कंपनी (बॉडी कारपोरेट) को एक-दूसरे का सहयोगी (असोसिएट) तब माना जाएगा, जब:-
- (क) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास कंपनी में या कंपनी के पास इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कम से कम 10 प्रतिशत मताधिकार हों; या,
- (ख) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के निदेशक या प्रोमोटर (संप्रवर्तक) या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सनल) का नातेदार कंपनी (बॉडी कारपोरेट) का निदेशक या प्रोमोटर हो अथवा कंपनी

(बॉडी कारपोरेट) के निदेशक या प्रमोटर या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल) का नातेदार इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का निदेशक या प्रमोटर हो।

स्पष्टीकरण.— शब्द 'नातेदार' का अर्थ वही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) में इसके लिए दिया हुआ है।

बही-खाते (लेखा-बहियाँ), रिकॉर्ड, आदि सही तरह से रखना

17. (1) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट निम्नलिखित बही-खाते और दस्तावेज संभालकर रखेगा, अर्थात्:-

- (क) प्रत्येक लेखा अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) के अंत तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की प्रति;
- (ख) प्रत्येक लेखा अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) के अंत तक की स्थिति के अनुसार लाभ-हानि खाते (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) की प्रति;
- (ग) प्रत्येक लेखा अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) के खातों (अकाउंट्स) के संबंध में ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट की प्रति; और
- (घ) यह ब्यौरा कि प्रत्येक तिमाही में नेटवर्थ कितनी रही।

(2) इश्यू से संबंधित कार्य करने वाला प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट निम्नलिखित के रिकॉर्ड भी संभालकर रखेगा:-

- (क) किसी इश्यू के संबंध में निवेशकों से प्राप्त सभी आवेदन;
- (ख) निवेशकों के वे सभी आवेदन जो नामंजूर किए गए हों (नामंजूर किए जाने के कारणों सहित);
- (ग) निवेशकों को शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से किस आधार पर अलॉट किए गए;
- (घ) शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) खरीदने से संबंधित शर्तें आदि;
- (ङ) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) के अलॉटमेंट के ब्यौरे;
- (च) उन व्यक्तियों के नामों की सूची, जिन्हें शेयर आदि अलॉट किए गए और जिन्हें नहीं किए गए;
- (छ) किसी इश्यू के संबंध में निवेशकों से आवेदन के साथ प्राप्त राकम के सिलसिले में भेजे गए रिफंड ऑर्डर;
- (ज) ऐसे दूसरे रिकॉर्ड, जो बोर्ड रखने को कहे।

(3) जो भी इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के लिए ट्रांसफर एजेंट के तौर पर कार्य करता हो, वह उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के निम्नलिखित रिकॉर्ड रखेगा, अर्थात्:-

- (क) ऐसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) के धारकों (होल्डर्स) की सूची;
- (ख) शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) ट्रांसफर करने वालों के नाम और जिन्हें ट्रांसफर किए गए उनके नाम, और ट्रांसफर किन-किन तारीखों को हुए;
- (ग) ऐसे दूसरे रिकॉर्ड, जो बोर्ड रखने को कहे।

- (4) प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड को यह सूचित करेगा कि उसके बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर कहाँ रखे गए हैं।
- (5) प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द किंतु उपरोक्त अवधि के समाप्त होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, बोर्ड के पास तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ-हानि खाते (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट), नेटवर्थ कितनी रही उसके विवरण (स्टेटमेंट) [जो भी बोर्ड बताए] और बोर्ड द्वारा इस विनियम के तहत बताए गए दूसरे दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा, हालाँकि उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधान का पालन तो करना ही होगा।

रिकॉर्ड रखना

18. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बही-खाते और दूसरे रिकॉर्ड तथा दस्तावेज (जिनका जिक्र विनियम 17 में किया गया है) कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगा, हालाँकि इस संबंध में यदि कोई और कानूनी प्रावधान हों, तो उनका भी पालन करना होगा।

अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति

19. (1) प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) नियुक्त करेगा, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स), अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स), अनुदेशों, आदि (जो भी बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हों) के पालन पर नज़र रखने के लिए और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (2) यदि अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नज़र में ऐसा कोई मामला आए कि कहीं किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है, तो वह उसकी रिपोर्ट बोर्ड को तुरंत और स्वतंत्र रूप से देगा।

विवाद सुलझाना

20. यदि किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में किए जाने वाले कार्यों आदि की वजह से या उन कार्यों आदि के सिलसिले में उस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट तथा उसके ग्राहक एवं निवेशक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।

शिकायत निवारण व्यवस्था

21. (1) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट निवेशकों की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द किंतु शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कलेंडर दिनों के भीतर करेगा और उसी प्रकार करेगा जैसा बोर्ड बताए।
- (2) बोर्ड उतने समय के भीतर और उस तरह से शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता भी प्रदान कर सकेगा, जैसा बताया जाए।

निवेशक चार्टर

22. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।

अध्याय-IV

बाजार में होने वाली धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल का पता लगाने और उसे रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था

वरिष्ठ प्रबंध-मंडल द्वारा निगरानी

23. (1) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या ऐसे ही ओहदे वाले किसी दूसरे व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके यहाँ आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था हमेशा रहे, ताकि इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन सुनिश्चित हो सके और धोखाधड़ी पर लगाम भी कसी जा सके।
- (2) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का निदेशक मंडल या उसका प्रमुख (उनके प्रमुख) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या ऐसे ही ओहदे वाला कोई दूसरा व्यक्ति इन प्रावधानों का पालन करे।
- (3) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था पर नज़र रखेगा और ऑडिट कमेटी (लेखापरीक्षा समिति) या ऐसी ही किसी दूसरी बॉडी के समक्ष समय-समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।
- (4) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की ऑडिट कमेटी या ऐसी ही कोई दूसरी बॉडी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, यह समीक्षा करेगी कि आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त तथा कारगर है या नहीं और इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन किया जा रहा है या नहीं।

निगरानी (सर्वेलांस) की मजबूत व्यवस्था

24. इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के यहाँ निगरानी (सर्वेलांस) की ऐसी मजबूत व्यवस्था भी होगी और आंतरिक नियंत्रण की ऐसी प्रक्रियाएँ होंगी, जो इस लिहाज से पर्याप्त हों कि उसका कारोबार किस तरह का है और उसके कामकाज का दायरा कितना बड़ा है, और साथ ही उनकी मदद से यह भी पता चल पाए कि कहीं उसके प्रमोटर, उसके कर्मचारी (जिनमें वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्ति भी शामिल हैं), उसके निदेशक या ऐसे ही ओहदे वाले दूसरे व्यक्ति कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे।

रिपोर्ट करने आदि की व्यवस्थाएँ

25. इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के यहाँ रिपोर्ट करने आदि की प्रक्रिया (जो स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हो) होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कोई धोखाधड़ी हुई हो या होने की आशंका हो, कोई गलत कार्य किया जा रहा हो, या कोई गतिविधि संदिग्ध लग रही हो, तो उसकी जानकारी तुरंत वरिष्ठ प्रबंध-मंडल और निदेशक मंडल को दी जा सके।

पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी)

26. (1) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) निर्धारित करेगा (जो स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हो) और उसे लागू करेगा, ताकि यदि उसके कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर को ऐसा लगे कि कहीं कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई गलत तरीका अपनाया जा रहा है, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर संचालन (गवर्नेंस) की व्यवस्था में कहीं कोई खामियाँ हैं, तो ऐसे में वे इस नीति के प्रावधानों के तहत गोपनीय तरीके से अपनी बात पहुँचा सकें और उन्हें बदला लिए जाने का कोई डर भी न रहे।

(2) पर्दाफाश करने वाले व्यक्तियों (विसल ब्लोअर) को संरक्षण कैसे मिलेगा और प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष रूप से तथा समय पर जाँच-पड़ताल कैसे की जाएगी, इसका पूरा जिक्र इस नीति में होगा।

(3) इस विनियम के तहत निदेशक मंडल के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों [जिनमें प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या ऐसे ही ओहदे वाले किसी दूसरे व्यक्ति, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल), नामित निदेशकों (डिसिग्रेटेड डायरेक्टर) या प्रमोटर (संप्रवर्तक) के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें भी शामिल हैं] इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की ऑडिट कमेटी या उसकी ऐसी ही किसी दूसरी बॉडी (निकाय) के पास प्रस्तुत की जाएँगी, और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) के पास प्रस्तुत की जाएँगी।

अध्याय-V

निरीक्षण और अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

बोर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार

27. (1) बोर्ड उप-विनियम (2) में बताए गए किसी भी उद्देश्य से इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के बही-खातों, उसके रिकॉर्ड और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) निरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों [जिनकी बात उप-विनियम (1) में की गई है] से किए जा सकेंगे:-

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज उसी तरह से रखे जा रहे हैं, जिस तरह से रखे जाने जरूरी हों;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम (एक्ट), नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;
- (ग) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यों आदि से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निवेशकों, दूसरे इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की तहकीकात (का अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए;
- (घ) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में या निवेशकों के हित में जब भी लगे, खुद से इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कामकाज की तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए।

निरीक्षण की प्रक्रिया

28. (1) विनियम 27 के तहत निरीक्षण करने से पहले, बोर्ड 'इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट' को यथोचित सूचना (नोटिस) देगा।

(2) उप-विनियम (1) में बताई गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि निवेशकों के हित में या जनहित में ऐसी कोई भी सूचना (नोटिस) नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ बोर्ड लिखित आदेश जारी करके यह निदेश दे सकेगा कि इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कामकाज का निरीक्षण ऐसी कोई सूचना (नोटिस) दिए बिना ही किया जाए।

(3) जिस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का निरीक्षण किया जा रहा हो, वह निरीक्षण के दौरान विनियम 29 में बताए गए अपने दायित्व पूरे करने के लिए बाध्य होगा।

बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के दायित्व

29. (1) जिस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का निरीक्षण किया जा रहा हो, उसके प्रत्येक निदेशक (डायरेक्टर), प्रोप्राइटर, पार्टनर (भागीदार), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष वे बहियाँ, वे खाते (अकाउंट्स) तथा वे दूसरे दस्तावेज पेश करे जो उसके पास पड़े हों (उसकी कस्टडी में हों) या उसके नियंत्रण में हों, और सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में किए गए लेनेदेन (ट्रांजेक्शन्स) से संबंधित विवरण तथा जानकारी निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उतने समय के भीतर प्रस्तुत करे, जितने समय के भीतर निरीक्षण प्राधिकारी प्रस्तुत करने को कहे।

(2) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट निरीक्षण प्राधिकारी को उस परिसर में जाने के लिए हर यथोचित सुविधा मुहैया कराएगा (एक्सेस देगा), जिनका कब्जा उनके पास हो या उनकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो और इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो बहियाँ, रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा कंप्यूटर डाटा हो उनकी जाँच-पड़ताल करने हेतु यथोचित सुविधा भी प्रदान करेगा और उन दस्तावेजों की प्रतियाँ या अन्य सामग्री भी प्रदान करेगा, जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण करने के लिए जरूरी हों।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के दौरान, इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के किसी सदस्य (मेम्बर), निदेशक (डायरेक्टर), पार्टनर (भागीदार), प्रोप्राइटर और कर्मचारी के बयानों की पड़ताल करने या उनके बयान दर्ज करने का हकदार होगा।

(4) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के प्रत्येक निदेशक, प्रोप्राइटर, पार्टनर (भागीदार), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी को वह समस्त सहायता प्रदान करे, जैसा इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से करने को कहा जाए।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

30. निरीक्षण प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

31. बोर्ड या अध्यक्ष, निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा जो बोर्ड या अध्यक्ष उपयुक्त तथा उचित समझे, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अध्याय-V के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई भी शामिल है।

ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की नियुक्ति

32. ऊपर बताई गई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के बही-खातों या उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की तहकीकात करने के लिए एक योग्यताप्राप्त (क्वालिफाइड) ऑडिटर को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु यह कि इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले ऑडिटर के पास निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी, जिनका जिक्र विनियम 27 में किया गया है, और विनियम 29 में इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के जिन दायित्वों का जिक्र किया गया है वे इस विनियम के तहत की जाने वाली तहकीकात के मामले में भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण. – शब्दों "योग्यताप्राप्त ऑडिटर" (अर्हित लेखापरीक्षक) का अर्थ वही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में इसके लिए दिया हुआ है।

अध्याय-VI

चूक के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

33. चूक (डिफॉल्ट) के मामले में कार्रवाई का दायित्व

जो इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट -

- (क) ऐसी किसी शर्त का पालन नहीं करता है, जिसके तहत उसे रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रीकरण) दिया गया हो;
- (ख) अधिनियम, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है;
- (ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42) के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
- (घ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
- (ङ) स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या बाय-लॉज़ (उप-विधियों) का उल्लंघन करता है,

उस पर कार्यवाही उसी तरह की जाएगी, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अध्याय-V में बताया गया है।

अध्याय-VII

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

34. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, बताई गई अवधि तक (किंतु जो बारह महीनों से अधिक की नहीं होगी) प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए प्रोजेक्ट्स (उत्पादों), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) के संबंध में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) यदि उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा कोई छूट प्रदान की भी जाती है, तो इसके लिए आवेदक को बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें वे शर्तें भी शामिल हैं जिनका आगे भी पालन करते रहना होगा।

स्पष्टीकरण.— इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" का अर्थ है - ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट, जहाँ, ऐसी शर्तों के तहत जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में इनोवेशन लाने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए प्रोजेक्ट्स (उत्पाद), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

किए गए आवेदन के आधार पर विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

35. (1) बोर्ड या तो स्वयं या इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर, निवेशकों तथा सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के हित में और साथ ही सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास के लिए तथा उसे विनियमित (रेग्युलेट) करने के लिए, इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के किन्हीं प्रावधानों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

- (क) संबंधित प्रावधान का पालन करने की वजह से निवेशकों को बेवजह परेशानी हो सकती है; या
- (ख) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से या तकनीकी कारणों से जरूरी है; या
- (ग) प्रावधानों का पालन उन कारणों से नहीं हो पाया, जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे थे।

(2) उप-विनियम (1) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के पास एक आवेदन दाखिल किया जाएगा, जिसमें उन कारणों का जिक्र किया जाएगा कि छूट किस आधार पर माँगी गई है, और आवेदन करते समय फीस (जितनी समय-समय पर निर्धारित की जाए) भी जमा करनी होगी (जो लौटाई नहीं जाएगी)।

(3) बोर्ड ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करेगा, और फिर भले ही बोर्ड आवेदक को छूट प्रदान करे या न करे, लेकिन इसके कारण दर्ज करेगा।

(4) बोर्ड यदि ठीक समझे, तो आवेदन पर कार्यवाही करने के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज या क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) को सलाह आदि देने के लिए कह सकेगा।

अध्याय-VIII

विविध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

36. इन विनियमों के प्रावधानों के आशय को लेकर या उनके लागू होने को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड के पास गाइडेंस नोट या परिपत्र (सर्कुलर) के जरिए निदेश देने की शक्ति होगी।

प्रक्रियाएँ आदि निर्धारित करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

37. इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के सुचारू रूप से लागू होने और इनसे जुड़े मामलों के संबंध में, बोर्ड मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के लिए परिपत्र (सर्कुलर) जारी करके उन्हें इन विनियमों में दिए हुए मानदंडों, दी हुई प्रक्रियाओं आदि या दिए हुए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कह सकेगा।

पहले के प्रावधानों को निरस्त करना और उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

38. (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 [सेबी (रजिस्ट्रार्स टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) रेग्यूलेशन्स, 1993] निरस्त हो जाएँगे।

(2) उपरोक्त विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के इस प्रकार निरस्त हो जाने पर भी, उपरोक्त विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के सिलसिले में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा की जा सकने वाली किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल है – शुरू किए गए किसी निरीक्षण, शुरू की गई किसी जाँच या शुरू की गई किसी तहकीकात (इन्वेस्टीगेशन) के संबंध में दी गई कोई टिप्पणी आदि (दिया गया कोई ऑब्जर्वेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के निरस्त हो जाने के बाद, बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं दूसरे विनियमों, उनके तहत जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर्स) में जहाँ कहीं भी उनके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ आया हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों का ही संदर्भ है।

अनुसूची-I

फॉर्म-क

[विनियम 4]

इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन

आवेदक का नाम

मुख्य अधिकारी का नाम और पदनाम

टेलीफोन नं. _____

अनुदेश:

1. आवेदक को आवेदन फॉर्म, पूरी तरह से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन में दिए हुए सभी कॉलम भरे जाएँ। यदि कोई कॉलम संबंधित या लागू न हो, तो वह भी बताया जाए।
3. जो जानकारी विस्तार से देनी जरूरी हो, वह जानकारी अलग पृष्ठों पर दी जाए और ये पृष्ठ भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाएँ।
4. फॉर्म पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसकी मूल प्रति प्रस्तुत की जाए।

भाग-I

सामान्य जानकारी

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 आवेदक का नाम _____

1.2 आवेदक का पता _____

पिन कोड _____ टेलीफोन नं. _____

1.3 पत्र आदि भेजने के लिए आवेदक का पता:

पिन कोड _____ टेलीफोन नं. _____

1.4 आवेदक के शाखा कार्यालयों (भारत में और दूसरे देशों में) [यदि कोई हों] का पता:

(क) _____

(ख) _____

(ग) _____

(घ) _____

1.5 क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के तहत प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए कोई दूसरा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है, यदि ऐसा किया गया हो तो उसके ब्यौरे भी दें

2. कंपनी आदि का ढाँचा:

2.1 कंपनी आदि के उद्देश्य क्या हैं:

[कंपनी आदि के उद्देश्य बताने के लिए संबंधित दस्तावेजों जैसे पार्टनरशिप डीड, चार्टर, मैमोरेन्डम ऑफ असोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के संबंधित हिस्से आदि की प्रतियाँ प्रस्तुत करें]

2.2 आवेदक की कंपनी आदि किस तारीख को और कहाँ बनी दिन महीना वर्ष स्थान

2.3 आवेदक की स्थिति [कृपया यह बताएँ कि आवेदक पब्लिक कंपनी है / प्राइवेट कंपनी है या कोई और कंपनी है। यदि वह लिस्टिड (सूचीबद्ध) कंपनी हो, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी बताया जाए और यह भी बताया जाए कि हाल ही में शेयर का सबसे ज्यादा भाव या सबसे कम भाव कितना रहा]

2.4 कंपनी आदि का चार्ट दिया जाए (जिसमें यह दर्शाया जाए कि अलग-अलग स्तरों पर किसकी-किसकी क्या-क्या जिम्मेदारियाँ हैं)।

2.5 सभी प्रबंधकों / अधिकारियों / निदेशकों के विवरण:-

[उनका नाम, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनकी नियुक्ति की तारीख, इसके अलावा वे फिलहाल जिस-जिस कंपनी में निदेशक के पद पर हैं, उस-उस कंपनी का नाम और उनकी नियुक्ति की तारीख, पहले किन-किन पदों पर रहे]

2.6 कर्मचारियों की संख्या

[सामान्य कार्यों के लिए कितने कर्मचारी हैं और खास तौर पर इंटरमीडियरी से जुड़े कार्य आदि करने के लिए कितने कर्मचारी हैं]

2.7 आवेदक की जो सहयोगी (असोसिएट) कंपनियाँ आदि इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से जुड़े कार्य आदि ही करती हों, उनके नाम और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के ब्यौरे।
नाम पता/फोन नं. किस तरह का कार्य आदि करती हैं स्थिति

2.8 कृपया बड़े शेयरधारकों (जिनके पास 5% या उससे ज्यादा के मताधिकार हों) की सूची दें और साथ ही यह भी बताएँ उनके पास कितने-कितने शेयर हैं।

3. बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरे

3.1 कार्यालय कितना बड़ा है (कृपया यह बताएँ कि क्षेत्रफल कितना है)

3.2 कार्यालय में मौजूद उपकरण आदि की जानकारी दें (कृपया कार्यालय में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टाइपराइटर, टेलीकम्यूनिकेशन के लिए मौजूद उपकरणों आदि के ब्यौरे दें)

3.3 क्या डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा - (क) कार्यालय में ही आंतरिक स्तर पर उपलब्ध है या (ख) इसके लिए बाहरी एजेंसी की मदद ली जाती है, कृपया ब्यौरे दें।

3.4 कंप्यूटर की सुविधा:

(क) हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन के ब्यौरे दें

(ख) सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट के ब्यौरे दें

4. कारोबार योजना (तीन वर्षों की)

(क) पूरा पिछला रिकॉर्ड, उपलब्धियाँ और मौजूदा कार्य आदि

(ख) कितना मुनाफा हो सकता है (अगले तीन वर्षों में)

(लक्ष्य कितना है, लक्ष्य हासिल करने की योजना क्या है, कितनी आमदनी हो सकती है)

5. वित्तीय जानकारी

5.1 कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना)

(रु. लाख में)

चालू वर्ष में	चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष में	चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष के बाद वाले वर्ष में
(अनुमानित)	(अनुमानित)	(अनुमानित)

(क) पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी)

(ख) फ्री रिज़र्व (खुली आरक्षितियाँ) [री-वैल्यूएशन रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों) को छोड़कर]

(ग) कुल (क) + (ख)

(घ) उधार (ब्यौरे)

5.2 पैसा कहाँ-कहाँ कितना-कितना लगाया गया

(रु. लाख में)

चालू वर्ष में	चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष में	चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष के बाद वाले वर्ष में
(अनुमानित)	(अनुमानित)	(अनुमानित)

(क) अचल संपत्तियाँ आदि (फिक्स्ड असेट्स)

(ख) प्लांट तथा मशीनरी और कार्यालय के उपकरण

(ग) निवेश (इसके ब्यौरे अलग से दिए जाएँ)

(घ) अन्य

5.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल-मिलाकर कितना मुनाफा हुआ

(रु. लाख में)

पहले वर्ष में	दूसरे वर्ष में	तीसरे वर्ष में
---------------	----------------	----------------

5.4 अलग-अलग जगहों से कितना-कितना मुनाफा हो सकता है

(रु. लाख में)

चालू वर्ष में चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष में चालू वर्ष के बाद वाले वर्ष के बाद वाले वर्ष में (अनुमानित)

5.5 कृपया पिछले तीन वर्षों के ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स (ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स) प्रस्तुत करें और यदि अनऑडिटेड (अलेखापरीक्षित) रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हों, तो उसके कारण बताएँ।

5.6 मुख्य बैंकरों (प्रिंसिपल बैंकर) का नाम और पता

5.7 ऑडिटर (लेखापरीक्षकों) [आंतरिक, बाहरी एवं टैक्स ऑडिटर, यदि कोई हो सहित] का नाम और पता।
(जैसा लागू हो)

6 अन्य जानकारी

6.1 सभी विचाराधीन विवादों के ब्यौरे:

विवाद किस तरह का है	पक्ष (पार्टी) का नाम	उस न्यायालय / न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) का नाम, जहाँ विवाद विचाराधीन हैं
---------------------	----------------------	--

6.2 यदि पिछले तीन वर्षों में किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) / किसी आर्थिक अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया गया हो, तो उसके ब्यौरे।

6.3 यदि कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उसे कोई इनाम आदि दिया गया हो, तो उसके ब्यौरे और उसकी सेवाओं को लेकर यदि कई लोगों ने एक ही जैसी शिकायतें की हों, तो उनके ब्यौरे

6.4 कोई दूसरी जानकारी, जो कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्वरूप के मद्देनज़र देनी जरूरी समझी जाए।

6.5 दो परिचित व्यक्तियों के नाम।

[संस्थाओं एवं कंपनियों (कारपोरेट बॉडी) को छोड़कर दूसरे आवेदकों के लिए]

भाग-II

7. कारोबार संबंधी जानकारी

7.1 यदि आपकी कंपनी नई हो, तो यह बताएँ कि वर्तमान में क्या कार्य आदि किए जा रहे हैं और आगे क्या कार्य आदि करने की योजना है

7.2 निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए फिलहाल क्या व्यवस्थाएँ हैं / आगे चलकर क्या व्यवस्थाएँ की जानी हैं।

(कृपया यह बताएँ कि कितनी और किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुईं, कंपनियों से जो फॉलो-अप किया उनके ब्यौरे, शिकायतों का निवारण करने में औसतन कितना समय लगा और शिकायतों पर कार्यवाही करने की पूरी व्यवस्था क्या है)

7.3 इश्युअर के साथ किस तरह का एग्रीमेंट करेंगे, उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें।

7.4 आवेदन पर कार्यवाही करने, दस्तावेज इकट्ठा करने और उन्हें भेजने, रिफंड ऑर्डर भेजने, अलॉटमेंट लेटर भेजने के लिए क्या सुविधाएँ मौजूद हैं, और रिफंड ऑर्डर तथा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) सुरक्षित रखने के लिए कितनी जगह उपलब्ध है, और साथ ही कलेक्टिंग बैंकों से मिलान आदि (रीकन्सिलिएशन) करने के लिए क्या सुविधाएँ मौजूद हैं।

8. अनुभव

8.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों आदि का अनुभव। [कंपनी (कारपोरेट बॉडी) का नाम, जिन इश्यू से जुड़ा कार्य आदि किया गया उनके व्यौरे, इश्यू का आकार (साइज़) कितना था आदि]

8.2 दूसरी वित्तीय सेवाएँ प्रदान किए जाने का अनुभव (कब से कब तक प्रदान की गई, किस क्षेत्र में प्रदान की गई, और कार्य कब शुरू किया गया)

घोषणा

इस घोषणा पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य हों

मैं/हम बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए, एतद्वारा, आवेदन करता/करती हूँ/ करते हैं, और मैं/हम यह आश्वासन देता/देती हूँ / देते हैं कि मैं/हम अधिनियम, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा/करूँगी / करेंगे।

मैं/हम यह आश्वासन देता/देती हूँ / देते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए प्रश्नों के सही-सही और पूरे-पूरे उत्तर दिए हैं और वह समस्त जानकारी दे दी है जो मुझे/हमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए जरूरी समझी जा सकती है, और यदि दी जा चुकी जानकारी में उस दौरान कोई बदलाव हो जाता है जिस दौरान मेरे/हमारे रजिस्ट्रेशन पर विचार किया जा रहा हो और/या फिर यदि मुझे/हमें रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने के बाद भी दी जा चुकी जानकारी में कोई बदलाव हो जाता है, तो मैं/हम ऐसे बदलाव के बारे में बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा/करूँगी / करेंगे।

मैं/हम यह समझता/समझती हूँ / समझते हैं कि बोर्ड को गुमराह करने या गुमराह करने की कोशिश करने पर आवेदक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं।

मैं/हम यह प्रमाणित करता/करती हूँ / करते हैं कि उपरोक्त जानकारी और आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी दी गई है, और जो भी जानकारी दी गई है वह पूरी तरह से सही है।

(आवेदक का नाम)

के लिए और की ओर से

स्थान

तारीख

फॉर्म-ख

[विनियम-10]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, नियमों में दी हुई शर्तों के तहत और इन विनियमों के अनुसार, उनके अंतर्गत बताए गए कार्य आदि करने के लिए, _____ को इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

II. इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का रजिस्ट्रेशन कोड है : _____

III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

तारीख:

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
के लिए और की ओर से

अनुसूची-II

[विनियम-14]

फीस

1. प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट विनियम 4 के उप-विनियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए जाने वाले आवेदन के साथ बीस हजार रुपये की फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) अदा करेगा।
2. प्रत्येक इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय, बोर्ड से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में छह लाख रुपये की रकम अदा करेगा।
3. जिस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह, अपना रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से छठे वर्ष से, प्रत्येक तीन वर्षों हेतु, दो लाख सत्तर हजार रुपये की फीस अदा करेगा।

4. (क) पैरा (3) में जितनी फीस का जिक्र किया गया है, उतनी फीस इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट उस ब्लॉक के समाप्त होने की तारीख से एक महीने पहले ही अदा करेगा, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो।
 (ख) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के लागू होने से पहले, जिन इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम 1993 के तहत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा चुका हो, और जो इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का कार्य आदि कर रहे हों, वे या तो:

- (i) जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी है, उस ब्लॉक के समाप्त होने तक इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में वे कार्य आदि कर सकेंगे, जिन्हें करने की अनुमति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम 1993 के तहत दी गई हो; या
 (ii) इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में वे कार्य आदि कर सकेंगे जिनका जिक्र इन विनियमों के विनियम 2(1)(ट) में किया गया है, जिसके लिए उन्हें उसी हिसाब से फीस की जितनी और रकम बनती होगी उतनी और रकम अदा करनी होगी, और साथ ही उन्हें इन विनियमों के तहत दिए हुए दूसरे सभी जरूरी प्रावधानों और दी हुई दूसरी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।

5. पैरा 1, 2 और 3 में जितनी फीस का जिक्र किया गया है, उतनी फीस इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे के जरिए बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी।

अनुसूची-III

[विनियम 15]

आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)

1. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपना समस्त कारोबार पूरी ईमानदारी से करेगा।
2. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट तत्परता से, नैतिकता से और पेशेवर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।
3. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, हमेशा पूरी एहतियात व सावधानी बरतेगा और अपेक्षानुसार अपने स्तर पर ही सही ढंग से निर्णय लेगा।
4. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) को डीमैट रूप देने से पहले पूरी सावधानी बरतेगा (ड्यू डिलिजेंस करेगा), जिसके लिए वह यह पुष्टि करेगा कि जिन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) को डीमैट रूप दिया जाना हो, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाए जाने की अनुमति दे दी गई है।
5. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि –
 (क) निवेशकों द्वारा पूछे गए सवालों आदि का सही-सही उत्तर दिया जाए;
 (ख) निवेशकों की शिकायतों का बिना किसी देरी के निवारण किया जाए;

- (ग) डीमैट / रीमैट करवाने हेतु प्राप्त निवेदनों के अनुसार की गई कार्यवाही की पुष्टि और कंपनी द्वारा घोषित फायदे (कारपोरेट बेनीफिट्स) उतने समय की भीतर बाँटे जाएँगे और शेयरों आदि (सिक्क्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) का अलॉटमेंट उतने समय की भीतर किया जाएगा, जितना समय इस संबंध में किए गए किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया हो।
6. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करने के पूरे-पूरे प्रयास करेगा कि किसी भी तरह की कोई गलत तस्वीर न पेश की जाए और यह कि निवेशकों को दी जाने वाली जानकारी उन्हें गुमराह करने वाली न हो।
 7. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट डीमैट / रीमैट करवाने हेतु प्राप्त निवेदनों को बेतुके कारणों से नामंजूर नहीं करेगा। ऐसे निवेदन तभी नामंजूर किए जा सकेंगे जब उन्हें नामंजूर करने के पीछे सही और ठोस कारण हों, और जिसके लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध हों।
 8. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह प्रयास करेगा कि हितों के टकराव की स्थिति पैदा न हो और अपने हित से जुड़े मामलों की पूरी-पूरी जानकारी देगा।
 9. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट कामकाज के दौरान हो सकने वाले हितों के टकराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था निर्धारित करेगा, या जहाँ हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा हो गई हो वहाँ उससे इस तरह से निपटेगा कि किसी को कोई नुकसान न उठाना पड़े।
 10. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ग्राहकों को इस बात की पूरी जानकारी देगा कि कर्तव्यों और हितों के टकराव की ऐसी स्थिति कहाँ-कहाँ पैदा हो सकती है, जब वह अपनी सेवाएं स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर तथा बिना किसी बाहरी दबाव के नहीं दे सकेगा।
 11. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ऐसी किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होगा, जिससे दूसरे इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या निवेशकों के हितों को नुकसान हो सकता हो या फिर कोई कार्य अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य करते समय वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो ऐसे दूसरे रजिस्ट्रार के हितों के विरुद्ध हो।
 12. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे बेहतरीन सलाह देने का प्रयास करेगा।
 13. इस प्रकार जानकारी देने के संबंध में इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपने ग्राहकों से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी दूसरे ग्राहकों, प्रेस या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा जो उसे पता चली हो, किंतु यदि ग्राहक द्वारा मंजूरी आदि दी गई हो या यदि उस समय लागू किसी कानूनी प्रावधान के तहत इस प्रकार जानकारी दी जानी जरूरी हो, तो ऐसा किया जा सकता है।
 14. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपने ग्राहकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, हालाँकि जहाँ नैतिकता के आधार पर और पैसे के लेनदेन के आधार पर ऐसा करना जरूरी हो वहाँ ऐसा किया जा सकेगा।
 15. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि यदि रजिस्ट्रेशन की मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई बदलाव हो जाए / यदि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाए या फिर वित्तीय स्थिति में ऐसा कोई बड़ा बदलाव हो जाए जिससे ग्राहकों / निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकने की संभावना हो तो उसकी जानकारी ग्राहकों को तुरंत दे दी जाए।

16. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपेक्षानुसार ज्ञान और योग्यता का स्तर बनाए रखेगा तथा अधिनियम, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), परिपत्रों (सर्कुलर) के प्रावधानों का और बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा।
17. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बोर्ड को आवश्यकतानुसार सहयोग देगा।
18. बोर्ड या किन्हीं एजेंसियों (जिनके यहाँ इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर हो) द्वारा जब कभी भी बहियाँ, दस्तावेज, पत्र आदि और कागज़ात या उनका कोई हिस्सा देने के लिए कहा जाए, तब इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट न तो उनके ऐसे निदेश को नज़रअंदाज़ करेगा और न ही माँगे गए दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने में असफल होगा और न ही ऐसे दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने से इनकार करेगा।
19. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कानूनी प्रावधान, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का और बोर्ड या किसी दूसरी रेग्युलेटरी बॉडी (विनियामक निकाय) आदि के निदेशों का कोई बड़ा उल्लंघन करने या उनका पालन न करने की वजह से यदि इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर के खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही आदि शुरू की जाती है, तो इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देगा।
20. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा कि डाटा और रिकॉर्ड रखने में कोई खलल न पड़े और यह भी कि डाटा या रिकॉर्ड खो न जाएँ या नष्ट न हो जाएँ। इसके अलावा, वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो भी डाटा और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, उसका बैक-अप हमेशा उसके पास उपलब्ध रहे।
21. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह प्रयास करेगा कि उसके खिलाफ या उसके द्वारा किए गए कार्यों आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण उसके द्वारा यथासंभव जल्द से जल्द किया जाए।
22. (क) इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उसका कोई भी कर्मचारी किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी / प्रतिभूति) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया (फिर चाहे वह रियल टाइम वाला हो या न हो) में, सीधे-सीधे या किसी और के जरिए से, कोई निवेश सलाह तब तक नहीं देगा, जब तक ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उसके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की जानकारी न दे दी जाए (उसे डिस्क्लोज़ न कर दिया जाए)।

(ख) यदि इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का कोई कर्मचारी ऐसी कोई सलाह दे रहा हो, तो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि वह यह खुलासा भी कर दे कि उसका खुद का, उसके परिवार के आश्रित सदस्यों का और जहाँ वह कार्यरत हो उसका कितना हित जुड़ा हुआ है [यानि कि ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उन्होंने कितनी लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ले रखी है]।
23. इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास जो भी रिकॉर्ड / डाटा और संबंधित दस्तावेज हों (जो भी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की हैसियत से उसके पास हों), वे समस्त रिकॉर्ड / डाटा आदि वह संबंधित ग्राहकों को, उन ग्राहकों के साथ किए गए एग्रीमेंट के समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर या इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में उसे प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने / को रद्द किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर (जो भी पहले हो), सौंप देगा।

24. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट कुछ सेवाएँ दिए जाने के संबंध में अपनी योग्यता या अपनी क्षमता के बारे में अथवा दूसरे ग्राहकों को दी गई सेवाओं से जुड़ी अपनी उपलब्धियों के बारे में, ग्राहकों को, न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित में, बड़ाचड़ाकर बताएगा।
25. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों और साथ ही आर्थिक रूप से या अपना कामकाज करने के संबंध में वह इतना सक्षम हो कि वह चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हो सकने वाले नुकसान की भरपाई कर सके।
26. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अपने अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) को पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ प्रदान करेगा, ताकि वह अपना कर्तव्य कारगर ढंग से निभा सके।
27. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ आंतरिक कामकाज हेतु आंतरिक स्तर पर आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की जाए और साथ ही यह भी निर्धारित किया जाए कि उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के तौर पर और इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते अपने कामकाज में व्यवहार कैसा रखना चाहिए। इस आचार संहिता के तहत यह भी निर्धारित किया जा सकेगा कि एक पेशेवर होने के नाते वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे, पूरी गोपनीयता एवं निष्पक्षता बरतेंगे, और साथ ही साथ वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हितों के टकराव (हित-विरोध) की कोई स्थिति पैदा न हो, और इसके अलावा उनके पास जो-जो शेयर हों और जहाँ-जहाँ हिस्सेदारी हो उनकी जानकारी भी देते रहेंगे, आदि।
28. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के स्तर पर अच्छी नीतियाँ बनाई जाएँ तथा कंपनी संचालन की अच्छी व्यवस्था हो।
29. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि उसने जिस भी व्यक्ति को कामकाज करने के लिए नियुक्त किया हो, वह उचित तथा उपयुक्त व्यक्ति हो, और साथ ही इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति के पास कार्य करने के लिए पर्याप्त योग्यताएँ भी हों (जिनमें पेशेवर के तौर पर प्रशिक्षित होने तथा पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य करने का अनुभव होना भी शामिल है)।
30. इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कर्मचारियों और एजेंटों ने कारोबार के संचालन के संबंध में जो कुछ भी किया हो या फिर यदि उनके द्वारा कुछ करना रह गया हो, उसके लिए इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट जिम्मेदार होगा।
31. इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) में किए जाने वाले किसी लेनदेन (डीलिंग) के संबंध में, किसी भी प्रकार से –

(क) न तो बनावटी सौदेबाजी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा;

(ख) न तो भाव (कीमतों) में किसी भी तरह से हेराफेरी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा;

(ग) न तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) हो चुके या सूचीबद्ध होने वाले शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) से संबंधित कोई यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) किसी भी व्यक्ति या इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) को देगा और न ही उसमें शरीक होगा।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./545/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (REGISTRARS TO AN ISSUE AND SHARE TRANSFER AGENTS) REGULATIONS, 2025

A regulation to consolidate and amend the regulatory framework for registration of registrars to an issue and share transfer agents and specifying their general obligations and responsibilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/288.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (2) of Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely, —

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly,—

(a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "activity" means activities which a registrar to an issue and share transfer agent may carry under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 2;

(c) “Board” means the Board as defined in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(d) “body corporate” means a body corporate as defined in sub-section (11) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(e) “certificate” means a certificate of registration granted by the Board under these regulations;

(f) “Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(g) “form” means a form specified in Schedule I;

(h) “inspecting authority” means one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under Chapter V;

(i) “issue” shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;

(j) “principal officer” means—

(i) in relation to a body corporate, partner or manager or director; or

(ii) any person connected with the management or administration of the body corporate upon whom the board of the body corporate has served a notice of its intention of treating him as the principal officer thereof;

(k) “registrar to an issue and share transfer agent” means a body corporate or a division or unit of such body corporate, appointed to carry out the following activities—

(i) for acting as an intermediary in connection with initial public offers, follow-on public offers, open offers, buy backs of securities, delisting offers, takeovers and such other issue or corporate action related activity as may be specified by the Board or stock exchanges or depositories;

(ii) for maintaining the records of holders of securities issued by such body corporate and to deal with all matters connected with transactions in such securities;

(l) “stock exchange” means a stock exchange which is for the time being recognised by the Central Government or by the Board under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF REGISTRAR TO AN ISSUE AND SHARE TRANSFER AGENT

Registration as Registrar to an Issue and Share Transfer Agent.

3. No person shall act as a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent unless it has obtained a certificate of registration from the Board under these regulations.

Application for grant of certificate of registration.

4. (1) An application by a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent for grant of a certificate of registration shall be made to the Board in *Form A* of Schedule I and shall be accompanied by a non-refundable application fee, as specified in Para 1 of Schedule II.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), any application made by a registrar to an issue or a share transfer agent prior to coming into force of these regulations containing such particulars as near thereto as mentioned in *Form A* of Schedule I shall be treated as an application made in pursuance of sub-regulation (1) and dealt with accordingly.

Application to conform to the requirements.

5. Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 4, any application, which is not complete in all respects and does not conform to the instructions specified in the form, shall be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of the relevant communication from the Board, such objections as may be indicated by the Board:

Provided further that, the Board may, on sufficient reason being shown, extend the time for removal of objections by such further time, not exceeding thirty days, as the Board may consider fit to enable the applicant to remove such objections.

To furnish further information, clarification etc.

6. (1) The Board may require the applicant to furnish such further information or clarifications regarding matters relevant to its activity as registrar to an issue and share transfer agent to consider the application for grant of a certificate of registration.
- (3) The applicant or its authorised representative shall, if so required by the Board, appear before the Board for personal representation.

Consideration of application.

7. For considering the grant of certificate of registration to the applicant, the Board shall take into account all matters which it deems are relevant to the activities relating to registrar to an issue and share transfer agent and in particular the following, namely, whether-
- (a) the applicant is a body corporate;
 - (b) the applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge the activities of a registrar to an issue and share transfer agent;
 - (c) the applicant has any past experience in the activities;
 - (d) the applicant has appointed a compliance officer;
 - (e) the applicant has constituted an audit committee or equivalent;

- (f) the applicant or any person directly or indirectly connected with the applicant has not been granted registration by the Board under the Act;
- (g) the applicant fulfils the net worth requirement specified in regulation 9;
- (h) the applicant or any person connected to the applicant is involved in any proceedings connected with the securities markets or any other regulatory or enforcement agency;
- (i) the applicant or any of its director, partner or principal officer is or has at any time been convicted for any offence involving moral turpitude or has been found guilty of any economic offence; and
- (j) the applicant is a fit and proper person.

Criteria for fit and proper person.

8. For the purposes of determining whether an applicant is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

Net worth Requirement.

9. The net worth requirement referred to in clause (g) of regulation 7 shall not be less than fifty lakh rupees.

Explanation.— For the purpose of this regulation, “net worth” means the value of the paid up capital, the free reserves and the securities premium as disclosed in the books of accounts of the applicant at the time of making the application under sub-regulation (1) of regulation 4:

Provided that a registrar to an issue and share transfer agent, who was granted a certificate of registration prior to the commencement of Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025, shall raise its net worth to the said minimum within a period of eighteen months from such commencement.

Grant of certificate of registration.

10. (1) The Board, on being satisfied that the applicant fulfils the requirements specified in regulation 7, shall send an intimation to the applicant and on receipt of the payment of registration fees as specified in paragraph (2) of Schedule II, grant a certificate in Form B of Schedule I.
- (2) The certificate of registration granted under sub-regulation (1) shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.
- (3) The registrar to an issue or share transfer agent who has already been granted certificate of registration by the Board, prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 shall be deemed to have been granted a certificate of registration, in terms of sub-regulation (1).
- (5) The grant of certificate of registration shall be subject to payment of fee specified in regulation 14.

Conditions of registration.

11. (1) The certificate of registration granted under regulation 10 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions, namely:-
- (a) the registrar to an issue and share transfer agent shall abide by the provisions of the Act and these regulations;

- (b) the registrar to an issue and share transfer agent shall obtain prior approval of the Board in case of change in control in such manner as may be specified by the Board;
 - (c) without prejudice to its obligations under any other law for the time being in force, the registrar to an issue and share transfer agent shall enter into a legally binding agreement with the body corporate or the person or group of persons for or on whose behalf it is acting as a registrar to an issue and share transfer agent stating therein the allocation of duties and responsibilities between itself and such body corporate or person or group of persons, as the case may be;
 - (d) the registrar to an issue and share transfer agent shall pay the fees for registration, in the manner provided in these regulations;
 - (e) the registrar to an issue and share transfer agent shall maintain net worth requirements specified in regulation 9 at all times during the period of validity of the certificate;
 - (f) the registrar to an issue and share transfer agent shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within twenty-one calendar days of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received and the manner in which such complaints have been redressed;
 - (g) the registrar to an issue and share transfer agent shall immediately intimate the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
 - (h) the registrar to an issue and share transfer agent shall provide services to listed or proposed to be listed companies on a stock exchange recognised by the Board.
- (2) Nothing contained in clause (b) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Providing services to unlisted companies

12. (1) Where a registrar to an issue and share transfer agent is providing its services to unlisted companies, then, —
- (a) the services provided to unlisted companies shall be separate and segregated from all other services, through a separate business unit;
 - (b) such services provided to unlisted companies shall not come under regulatory jurisdiction of the Board; and
 - (c) every registrar to an issue and share transfer agent shall make an appropriate disclaimer to that extent to the unlisted company.

Explanation.— The registrars to an issue and share transfer agents serving mutual funds, asset management companies, portfolio management services and alternative investment funds shall remain under the regulatory purview of the Board.

- (2) A registrar to an issue and share transfer agent offering services to unlisted companies prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 shall segregate such activities into a separate business unit within a period of eighteen months from the date of notification of these regulations.

Procedure where registration is not granted.

13. (1) After considering an application made under regulation 4, if the Board is of the opinion that a certificate should not be granted to the applicant, it may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.
- (2) The decision of the Board to reject the application shall be communicated to the applicant within thirty days of such decision, stating therein the grounds on which the application has been rejected.

- (3) The applicant may, being aggrieved by the decision of the Board under sub regulation (2) apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Board for reconsideration of its decision.
- (4) On receipt of the application made under sub-regulation (3), the Board shall reconsider its decision and communicate its findings thereon as soon as possible in writing to the applicant.

Payment of fees and the consequences of failure to pay fees.

14. (1) Every applicant eligible for grant of registration, shall pay the fees in such manner and within the period specified in Schedule II:

Provided that the Board may on sufficient cause being shown permit the registrar to an issue and share transfer agent to pay such fees at any time before the expiry of six months from the date on which such fees becomes due.

(2) Where a registrar to an issue and share transfer agent fails to pay the fees as provided in sub-regulation (1), the Board may suspend the certificate, whereupon the registrar to an issue and share transfer agent shall cease to carry on any of his activity as a registrar to an issue and share transfer agent.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Code of Conduct.

15. Every registrar to an issue and share transfer agent shall at all times abide by the Code of Conduct as specified in Schedule III.

Registrar to an issue and share transfer agent not to act as such for an associate.

16. No registrar to an issue and share transfer agent shall act as such for any issue of securities by a body corporate of which it is an associate.

Explanation.— For the purpose of this regulation, a registrar to an issue and share transfer agent or the body corporate as the case may be shall be deemed to be an associate of the other where:-

- (a) it controls directly or indirectly not less than 10 percent of the voting rights of the body corporate or of the registrar to an issue and share transfer agent, as the case may be; or,
- (b) relative of its director or promoter or key managerial personnel is a director or promoter of the body corporate or of the registrar to an issue and share transfer agent, as the case may be.

Explanation.— The term 'relative' shall have the same meaning as is assigned to it under sub-section (77) of section 2 of the Companies Act, 2013.

To maintain proper books of accounts and records, etc.

17. (1) Every Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall keep and maintain the following books of accounts and documents, namely: -

- (a) a copy of balance sheet at the end of each accounting period;
- (b) a copy of the profit and loss account at the end of each accounting period;
- (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period; and
- (d) a statement of net worth for each quarter.

(2) Every registrar to an issue and share transfer agent which handles issues shall maintain the following records with respect to:-

- a. all the applications received from investors in respect of an issue;
- b. all applications of investors rejected and reasons therefor;
- c. basis of allotment of securities to the investors as finalised in consultation with the stock exchange;
- d. terms and conditions of purchase of securities;
- e. allotment of securities;
- f. list of names of allottees and non-allottees of the securities;
- g. refund orders dispatched to investors in respect of application monies received from them in response to an issue;
- h. such other records as may be specified by the Board.

(3) Every registrar to an issue and share transfer agent shall maintain the following records in respect of a body corporate on whose behalf it is carrying on the activities as transfer agent namely:-

- a. list of holders of securities of such body corporate;
- b. the names of transferor and transferee and the dates of transfer of securities;
- c. such other records as may be specified by the Board.

(4) Every registrar to an issue and share transfer agent shall intimate the Board the place where the books of accounts, records and documents are maintained.

(5) Without prejudice to sub- regulation (1), every Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall, after the close of each financial year as soon as possible but not later than six months from the close of the said period furnish to the Board if so required copies of the balance sheet, profit and loss account, statement of net worth requirement and such other documents as may be required by the Board under this regulation.

Maintenance of records.

18. Subject to provisions of any other law, the registrar to an issue and share transfer agent shall preserve the books of accounts and other records and documents maintained under regulation 17 for a minimum period of eight years.

Appointment of a Compliance Officer.

19. (1) Every Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions etc. issued by the Board or the Central Government and for redressal of investors' grievances.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report to the Board any non-compliance observed by him.

Dispute Resolution

20. All claims, differences or disputes between a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent and its client and investor arising out of or in relation to the activities of the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

Grievance Redressal Mechanism.

21. (1) The Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall redress investor grievances promptly but not later than twenty-one calendar days from the date of receipt of the grievance and in such manner as may be specified by the Board.

(2) The Board may also recognize a body corporate for handling and monitoring the process of grievance redressal within such time and in such manner as may be specified.

Investor Charter.

22. The Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.

CHAPTER IV**INSTITUTIONAL MECHANISM FOR PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD OR MARKET ABUSE****Senior management oversight**

23. (1) The Chief Executive Officer, Managing Director or such other equivalent person of the registrar to an issue and share transfer agent shall be responsible for establishing and maintaining adequate systems of internal control to ensure compliance with these regulations and to prevent fraud.

(2) The Board of Directors or head(s) of the registrar to an issue and share transfer agent shall ensure that Chief Executive Officer, Managing Director or such other equivalent person complies with these requirements.

(3) Compliance officer of registrar to an issue and share transfer agent shall monitor the internal controls and place periodic reports before the Audit Committee or an equivalent body.

(4) The audit committee or equivalent body of the registrar to an issue and share transfer agent shall, at least once in each financial year, review the adequacy and effectiveness of the internal control systems and compliance with these regulations.

Robust Surveillance Systems

24. The registrar to an issue and share transfer agent shall have in place robust surveillance systems and internal control procedures that are commensurate with the nature of business and the size of its operations, to detect potential fraud by promoters, employees including senior management, directors or analogous persons.

Escalation and reporting mechanisms

25. The registrar to an issue and share transfer agent shall have in place a documented escalation process to ensure that instances of actual or potential fraud, misconduct, or suspicious activity are promptly reported to senior management and the Board of Directors.

Whistle blower policy

26. (1) The registrar to an issue and share transfer agent shall establish, implement and maintain a documented whistle blower policy providing a confidential channel for employees and stakeholders to report suspected fraud, unethical conduct, regulatory or legal violations, or governance vulnerabilities, without fear of retaliation.

(2) The policy shall include procedures for ensuring adequate protection of whistle-blowers and for fair and timely investigation of complaints

(3) The complaints under this regulation against the Board of Directors including those against the Managing Director, Chief Executive Officer or equivalent, key managerial personnel, Designated Directors or Promoter shall be addressed to the Audit Committee or other equivalent body of the registrar to an issue and share transfer agent and the complaints against other employees shall be addressed to the Compliance Officer.

CHAPTER V

INSPECTION AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS

Board's right to inspect.

27. (1) The Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents of the registrar to an issue and share transfer agent for any of the purposes specified in sub- regulation (2).
- (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows:
- (a) to ensure that the books of accounts, records and documents are being maintained in the manner required;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, rules, regulations and the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956) and the rules made thereunder are being complied with;
 - (c) to investigate into complaints received from investors, other registrars to an issue and share transfer agents or any other person in the securities market on any matter having a bearing on the activities of the registrar to an issue and share transfer agent;
 - (d) to investigate suo-moto in the interest of securities market or investors' interest into the affairs of the registrar to an issue and share transfer agent.

Procedure for inspection.

28. (1) Before undertaking an inspection under regulation 27, the Board shall give a reasonable notice to the registrar to an issue and share transfer agent.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors or in public interest no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the registrar to an issue and share transfer agent be taken up without such notice.
- (3) During the course of inspection, the registrar to an issue and share transfer agent against whom an inspection is being carried out shall be bound to discharge his obligations as provided under regulation 29.

Obligations of registrar to an issue and share transfer agent on inspection by the Board.

29. (1) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer and employee of the registrar to an issue and share transfer agent, who is being inspected, to produce to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with the statements and information relating to the transactions in securities market within such time as the inspecting authority may require.
- (2) The registrar to an issue and share transfer agent shall allow the inspecting authority to have a reasonable access to the premises occupied by them or by any other person on their behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the

possession of the registrar to an issue and share transfer agent or any other person on their behalf and also provide copies of documents or other materials which, in the opinion of the inspecting authority are relevant.

(3) The inspecting authority shall, in the course of inspection, be entitled to examine or record statements of any member, director, partner, proprietor and employee of the registrar to an issue and share transfer agent.

(4) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer or employee of the registrar to an issue and share transfer agent to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection, which the registrar to an issue and share transfer agent may be reasonably be expected to give.

Submission of Report to the Board.

30. The inspecting authority shall, as soon as possible, submit an inspection report to the Board.

Action on inspection or investigation report.

31. The Board or the Chairman shall after consideration of the inspection or investigation report, take such action as the Board or Chairman may deem fit and appropriate including action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

Appointment of Auditor.

32. Notwithstanding anything contained above, the Board may appoint a qualified auditor to investigate into the books of account or the affairs of the registrar to an issue and share transfer agent:

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as mentioned in regulation 27 and the obligations of the registrar to an issue and share transfer agent in regulation 29 shall be applicable to the investigation under this regulation.

Explanation. — The expression "qualified auditor" shall have the same meaning as given to it under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

CHAPTER VI

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for action in case of default.

33. A registrar to an issue and share transfer agent who-

- (a) fails to comply with any conditions subject to which registration has been granted;
- (b) contravenes any of the provisions of the Act, rules or regulations;
- (c) contravenes the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the rules made thereunder;
- (d) contravenes the provisions of the Depositories Act, 1996 or the rules made thereunder;
- (e) contravenes the rules, regulations or bye-laws of the stock exchange,

shall be dealt with in the manner provided under chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

CHAPTER VII**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

34. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.— For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.

Power to relax strict enforcement of the regulations on the basis of application

35. (1) The Board may either suo moto or upon receipt of an application made in this regard, in the interest of investors and securities market and for the development and regulation of securities market, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations, if the Board is satisfied that:

- (a) the requirement may cause undue hardships to investors; or
- (b) the requirement is procedural or technical in nature; or
- (c) the non-compliance is caused due to factors beyond the control of the person.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, detailing the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board along with a non-refundable fee, as specified from time to time.

(3) The Board shall process such application and shall record reasons for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant.

(4) The Board may seek recommendation from a stock exchange or clearing corporation, as it may deem fit, in order to process the application.

CHAPTER VIII**MISCELLANEOUS****Power to remove difficulties**

36. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars.

Power to specify procedures, etc. and issue clarifications

37. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Board may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines as specified in these regulations, by way of circulars to recognised stock exchanges and listed companies.

Repeal and Savings.

38. (1) On and from the commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any observation made in respect of inspection, any enquiry or investigation commenced or show cause notice issued in respect of the said Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

(3) After the repeal of Securities and Exchange Board of India (Registrar to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE I**FORM A**

[Regulation 4]

**APPLICATION FOR REGISTRATION AS
REGISTRARS TO AN ISSUE AND SHARE TRANSFER AGENTS**

NAME OF THE APPLICANT

NAME OF THE PRINCIPAL OFFICER AND DESIGNATION

TELEPHONE NO. _____

INSTRUCTION:

1. APPLICANT MUST SUBMIT A COMPLETED APPLICATION FORM TOGETHER WITH SUPPORTING DOCUMENTS TO THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA.
2. ALL COLUMNS OF THE APPLICATION SHOULD BE FILLED IN. IN CASE A COLUMN IS NOT RELEVANT OR NOT APPLICABLE, THIS SHOULD BE SPECIFIED.
3. INFORMATION WHICH NEEDS TO BE SUPPLIED IN MORE DETAILS MAY BE WRITTEN ON SEPARATE SHEETS WHICH SHOULD BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM.
4. ORIGINAL COPY OF FORM DULY SIGNED SHOULD BE SUBMITTED.

PART - I**GENERAL INFORMATION****1. APPLICANTS DETAILS**

1.1 Name of the Applicant _____

1.2 Address of Applicant _____

Pin Code _____ Telephone No. _____

1.3 Address of the applicant for Correspondence:

Pin Code _____ Telephone No. _____

1.4 Address of Branch Offices (in India & Abroad) of the applicant, if any:

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

1.5 Whether any other application under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 has been made for grant of Certificate, if so, details thereof:

2. ORGANISATION STRUCTURE:

2.1 Objective of the organisation.

(attach the extracts from relevant documents like, Partnership deed, Charter, Memorandum of Association, and Articles of Association in support of objectives of the organisation.)

2.2 Date and Place of Incorporation / Establishment of the organisation of the applicant.

Day Month Year Place

2.3 Status of the applicant (specify whether public/private, others. If listed, name of the stock exchange and latest share price: high & low).

2.4 Organisation Chart stating the functional responsibility at various levels.

2.5 Particulars of all Mangers / Officers / Directors:-

[Name, Qualification, Experience, Date of Appointment, Other directorship (Name & Date of Appointment), Previous positions held.]

2.6 Number of employees

(General and for specific Intermediaries activity)

2.7 Name and activities of associate companies / concerns carrying out on activities of a registrar to issue and share transfer agent.

Name Address/ Phone nos. Type of activity Status

2.8 Please give list of major shareholders (holding 5% or more voting rights) and percentage of their shareholdings.

3. DETAILS OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES

3.1 Office Space (mention the extent of area available)

3.2 Office Equipment (mention the details of electronic office equipment, typewriters, telecommunications equipment etc.)

3.3 Whether Data Processing capacity facility is available (a) In house or (b) outside, please give details.

3.4 Computer facility:

(a) Hardware Configuration

(b) Software Environment

4. BUSINESS PLAN (FOR THREE YEARS)

(a) History, Major achievements and present activity

(b) Projected Profitability (Next three years)

(Physical targets, Modus Operandi to achieve targets, Resultant Income)

5. FINANCIAL INFORMATION

5.1 Capital structure

		(Rs. In lakhs)
Current Year	Subsequent second year (estimated)	Subsequent third year (estimated)
(a) Paid up Capital		
(b) Free reserves (excluding revaluation reserves)		
(c) Total (a) + (b)		
(d) Loans (Details)		

5.2 Deployment of Resources

		(Rs. In lakhs)
Current Year	Subsequent second year (estimated)	Subsequent third year (estimated)
(a) Fixed Assets		
(b) Plant & Machinery and office equipment		
(c) Investment (Details Should be given separately)		
(d) Others		

5.3 Net Profit for the last three financial years

		(Rs. In lakhs)
First Year	Second Year	Third year

5.4 Estimated profit from various sources.

		(Rs. In lakhs)
Current Year	Subsequent second year (estimated)	Subsequent third year (estimated)

5.8 Please enclose three years of audited annual accounts and where unaudited reports are submitted, give reasons.

5.9 Name and Address of Principal Bankers

5.10 Name and Address of the Auditors (Internal, External & Tax auditor, if any).

(As applicable)

6 OTHER INFORMATION

6.1 Details of all pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Names & Places of Court / Tribunal where disputes are pending
-------------------	-------------------	---

6.2 Indictment of involvement in any offence relating to moral turpitude / economic offences in the last three years.

6.3 Any significant awards or recognition, collective grievances against the services rendered by the company.

6.4 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the company.

6.5 Name of two references.

(For applicants other than institutions & corporate bodies)

Part II

7. BUSINESS INFORMATION

7.1 Describe present activities and proposed activity in case of new organisation.

7.2 Existing / proposed facilities for redressal of Investor Grievances.

(Furnish number and type of complaints received, follow-up with the companies, average time taken in resolving the complaints and overall system of handling complaints.)

7.3 Enclose a copy of typical contract to be entered with the issuer.

7.4 Details of facilities for processing of application, collection and dispatch of documents, refund orders, allotment letters, space for safe custody of refund orders, certificates, reconciliation with the collecting banks.

8. EXPERIENCE

8.1 Experience in handling the activities during the last three years. (Name of the corporate body, particulars of issues handled, size of issues etc.)

8.2 Experience in other financial services (period, area, and commencement of activity).

DECLARATION

THIS DECLARATION MUST BE SIGNED BY PRINCIPAL OFFICER

I / We hereby apply for GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION by the Board, I/ We warrant that I/We will carry out my /our duties in accordance with the Act, Rules and Regulations.

I/We warrant that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our grant of Certificate for registration and I/We will promptly notify the Board of any changes in the information during the period that my / our registration is being considered and if my/our registration is accepted, thereafter.

I/We understand that misleading or attempting to mislead the Board shall render the applicant liable to disciplinary proceedings.

I/We certify that the above information and information supplied in the application form is true, complete and correct.

For and on behalf of

(Name of Applicant)

PLACE

Date

FORM B

[Regulation 10]

Certificate of Registration

I. In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the rules and regulations made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to _____ as registrars to an issue and share transfer agent subject to the conditions in the rules and in accordance with the regulations to carry out the activities as specified therein.

II. Registration Code for Registrar to an Issue and Share Transfer Agent is _____

III. This certificate of registration shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.

Date:

By Order

For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

SCHEDULE II

[Regulation 14]

Fees

1. Every registrar to an issue and share transfer agent shall pay a non-refundable fee of twenty thousand rupees along with the application for grant of certificate of registration under sub-regulation (1) of regulation 4.
2. Every registrar to an issue and share transfer agent shall pay a registration fee of six lakh rupees, within fifteen days from the date of receipt of information from the Board, at the time of grant of certificate of registration.
3. A registrar to an issue and share transfer agent who has been granted a certificate of registration, to keep its registration in force, shall pay fee of two lakhs and seventy thousand rupees, every three years from the sixth year, from the date of grant of certificate of registration.
4. (a) The fee referred to in paragraph 3 shall be paid by the registrar to an issue and share transfer agent one month before the expiry of the block for the which fee has been paid.
 (b) The registrars to an issue and share transfer agents registered under Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 prior to the commencement of these regulations, and carrying on the activities of registrar to an issue or share transfer agent, shall either:
 - (i) continue carrying on the activities of a registrar to an issue or share transfer agent as permitted under Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Regulations), 1993 till the expiry of the ongoing fee block for which fee has been paid; or
 - (ii) perform the activities of a registrar to an issue and share transfer agent as defined under regulation 2(1)(k) of these regulations by paying the differential amount of fees on pro-rata basis, after complying with all other necessary requirements and conditions under these regulations.
5. The fee specified in paragraphs 1, 2 and 3 shall be payable by the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway.

SCHEDULE III

[Regulation 15]

CODE OF CONDUCT

1. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall maintain high standards of integrity in the conduct of its business.
2. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall fulfil its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
4. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall exercise adequate care, caution and due diligence before dematerialisation of securities by confirming and verifying that the securities to be dematerialized have been granted listing permission by the stock exchange/s.
5. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall always endeavor to ensure that -
 - a. inquiries from investors are adequately dealt with;
 - b. grievances of investors are redressed without any delay;
 - c. confirmation of dematerialisation / rematerialisation requests and distribution of corporate benefits and allotment of securities is done within the time specified under any law .

6. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the investors is not misleading.
7. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not reject the dematerialisation / rematerialisation requests on flimsy grounds. Such request could be rejected only on valid and proper grounds and supported by relevant documents.
8. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest.
9. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.
10. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.
11. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other Registrar to the issue and Share Transfer Agent or investors or is likely to place such other Registrar in a disadvantageous position in relation to the Registrar to issue and Share Transfer Agent while competing for or executing any assignment.
12. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall always endeavor to render the best possible advice to the clients having regard to their needs.
13. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not divulge to other clients, press or any other person any confidential information about its clients which has come to its knowledge except with the approval / authorisation of the clients or when it is required to disclose the information under any law for the time being in force.
14. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
15. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by the Board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients / investors is promptly informed to the clients.
16. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall maintain the required level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, rules, regulations, circulars and directions issued by the Board.
17. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall co-operate with the Board as and when required.
18. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which he is registered, such books, documents, correspondence, and papers or any part thereof as may be demanded / requested from time to time.
19. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceeding etc. initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.
20. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. Further, it shall ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.
21. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall endeavor to resolve all the complaints against it or in respect of the activities carried out by it as quickly as possible.
22. (a) A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent or any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media,

whether real-time or non-real time, unless a disclosure of its long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In case, an employee of a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent is rendering such advice, the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that it also discloses its own interest, the interests of his dependent family members and that of the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

23. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall hand-over all the records/ data and all related documents which are in its possession in its capacity as a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent to the respective clients, within one month from the date of termination of agreement with the respective clients or within one month from the date of expiry/cancellation of certificate of registration as Registrar to an Issue and Share Transfer Agent, whichever is earlier.
24. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the clients either about its qualifications or capability to render certain services or about its achievements in regard to services rendered to other clients.
25. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that it has satisfactory internal control procedures in place as well as adequate financial and operational capabilities which can be reasonably expected to take care of any losses arising due to theft, fraud and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.
26. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of its duties.
27. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in carrying out its duties as a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent and as a part of the industry. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.
28. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.
29. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience).
30. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect of the conduct of its business.
31. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not, in respect of any dealings in securities, be party to or instrumental for -
 - d. creation of false market;
 - e. price rigging or manipulation;
 - f. passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./545/2025-26]